न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

टीआई संख्या 158/2021

गोदावरी देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थीया–

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल
2. सुधीर पुत्र कन्हैयालाल
3. सुनिल पुत्र कन्हैयालाल
4. अन्नू शर्मा पत्नी कन्हैयालाल
5. मंजूदेवी पुत्री कन्हैयालाल
6. सन्तरा देवी पुत्री कन्हैयालाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिपराली
8. उप पंजीयक सीकर
9. तहसीलदार, सीकर

– अप्रार्थीण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

उपस्थित –वकील प्रार्थीया– श्री सांवरमल चौधरी
वकील अप्रार्थीगण – श्री रामेश्वरलाल बिजारणीयां

निर्णय

दिनांक : 7.7.2022

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मय दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 5419/510, 5420/510, 5430/911 किता 3 कुल

रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम पिपराली एवं खसरा नम्बर 2786/19 रकबा 0.9050 है0 वाके ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। वादिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 कन्हैयालाल के पुत्र एवं पुत्रियां है। विवादित भूमियों का खाता पूर्व में कन्हैयालाल के नाम से था उनकी मृत्यु के पश्चात विरासतन खाता वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हुआ है। उक्त वर्णित भूमि में प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमियों का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। भूमि खसरा नम्बर 5419/510 रकबा 0.03 है0 में वादिया आवासीय मकानाता बनाकर अपने परिवार सहित आवास निवास कर रही है। वादिया प्रतिवादीगण को खाता अलग अलग करवाने के लिये बार बार कहती रही लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आपस में साज किये हुऐ हैं। बंटवारा नहीं करवा रहे है तथा वादिया को बलात् बेदखल करने की धमकी देने लग गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमियों का विधिवत बंटवारा करवाये बिना प्रार्थीया को उसक हक हिस्से एवं मकानात से बंदखल नहीं करें एंव रिकार्ड को यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा जवाब पेश किया गया । जिसमें प्रार्थीया के कथनों का खण्डन किया गया एवं कन्हैयालाल के भाईयों का पक्षकार नहीं बनाये जाने बाबत कथन किया। खसरा नम्बर 2786/19 रकबा 0.9050 है0 वाके ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर में से 0.11 है0 भूमि का क्रेता पोखरमल है जिसको कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दी थी। इसका अंकन भी प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस आवेदन एवं जवाब आवेदन के तथ्यों के अनुसार रही। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि वाद में सहमति से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है इसलिये बंटवारा होने तक विक्रय से पाबन्द फरमाया जावे। पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल वाद में पोखरमल को पक्षकार बनाते हुऐ बंटवारा किये जाने हेतु सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी होने तक वाद बाहुलता नहीं बढे इसके लिये भूमियों के रिकार्ड की यथास्थिति रखा जाना उचित प्रतित होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण एवं वाद में प्रतिवादी संख्या 10 पोखरमल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तादौराने वाद विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 5419/510, 5420/510, 5430/911 किता 3 कुल रकबा 1.10 है0 वाके ग्राम पिपराली एवं खसरा नम्बर 2786/19 रकबा 0.9050 है0 वाके ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमियों को विक्रय करने से पाबन्द रखें।

निर्णय आज दिनांक 7.7.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर